भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 911

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**आन्ध् प्रदेश में ग्राम न्यायालय**

**911. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध् प्रदेश मे एक भी ग्राम न्यायालय नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार के आगे नहीं आने के कारण राज्य को इस हेतु अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने आन्ध् प्रदेश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध् दर में वृद्धि के बावजूद वहां ग्राम न्यायालयों की स्थापना नहीं किए जाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है; और

(घ) आन्ध् प्रदेश सरकार को ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने हेतु मनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** जी, हां । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, द्वारा किसी ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के निबंधनानुसार, राज्य सरकारें, संबद्ध उच्च न्यायालयों के साथ ग्राम न्यायालय की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी होती हैं ।

**(ख) :** “ग्राम न्यायालयों की स्थापना और उसके प्रचालन के लिए राज्यों को सहायता” की केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अधीन, वित्तीय सहायता की मंजूरी संबंद्ध राज्य सरकारों तथा उनके प्रचालन द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् ही प्रदान की जाती है ।

**(ग) :** ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विर्मश किया गया था । आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में विचार किया गया था कि चुंकि ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता नियमित न्यायालयों की अधिकारिता से व्यपगत होती है, अतः सम्मेलन में अन्य बातों के साथ यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारें तथा उच्च न्यायालयों को स्थानीय मुद्दों तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो ग्राम न्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर विनिश्चय करना चाहिए ।

**(घ) :** केन्द्रीय सरकार ने संबंद्ध राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से नियमित अनुरोध करती रहीं है । हाल ही में, केन्द्रीय सरकार ने, उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित स्कीम के अधीन उनको प्रचालित करने हेतु ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने तथा वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए आंध्रप्रदेश राज्य सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*